उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-1

संख्या-22/2023/2524/ई-1/तेरह-23-146/16

लखनऊ, दिनांक : 04 दिसम्बर, 2023

कार्यालय-आदेश

आबकारी विभाग के निम्नलिखित उप आबकारी आयुक्त को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर (वेतनमान 78800-209200, ग्रेड पे रू.7600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) में वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	नाम
1	श्री शैलेन्द्र कुमार राय

2. उपर्युक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उप आबकारी आयुक्त के पद से कार्यमुक्त होकर संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3. उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी की नियमित तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगें। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत अपने कार्य का निवर्हन करते रहेंगे। इस हेतु उन्हें अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

दिव्य प्रकाश गिरि
विशेष सचिव।

संख्या-22/2023/2524(1)/ई-1/तेरह-23-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
2- आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त नव-प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ.प्र., प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
4- सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।
5- सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त, जनपद (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।
6- सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।
7- गार्ड बुक, आबकारी अनुभाग-1

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in